अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी' (AQMC) की दिनांक 30.11.2021 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से नॉन–अटेन्मेन्ट नगरों में 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP) के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

प्रदेश के नॉन–अटेन्मेन्ट नगरों यथा आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, रायबरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अनपरा, गजरौला एवं झांसी में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP) के कार्यान्वयन की समीक्षा के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 30.11.2021 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नानुसार प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1– सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– नगर विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/परिवहन विभाग इत्यादि के शासन स्तरीय अधिकारी।

3– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

4– सम्बन्धित जनपदों के नगर आयुक्त/अधिषाशी अधिकारी।

5– जनपदों के अन्य सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण।

6– बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदों के क्षेत्रीय अधिकारी।

सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा बैठक में प्रतिभाग किये गये अधिकारियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन0सी0आर0) नगरों में वायु प्रदूषण के दृष्टिगत लागू 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP) के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियमित रूप से की जा रही है तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के अन्तर्गत भी याचिका दायर हुई है। अतः यह बैठक प्रदेश के अन्य नॉन–अटेन्मेन्ट नगरों में वायु प्रदूषण के दृष्टिगत लागू GRAP के कार्यान्वयन हेतु विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के नॉन–अटेन्मेन्ट नगरों (एन0सी0आर0 क्षेत्र के अतिरिक्त) में स्थापित वायुगुणता अनुश्रवण केन्द्रों से प्राप्त AQI के आकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हुए अवगत कराया गया कि अनुश्रवण केन्द्रों के दृष्टिगत माइक्रोप्लानिंग को क्रियान्वित किये जाने के साथ ही गारबेज बर्निंग की घटनाओं के त्वरित निस्तारण/नियंत्रण किये जाने की आवश्यकता है। तत्पश्चात् अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अनुमति के उपरान्त विभिन्न नगरों में GRAP के क्रियान्वयन हेतु प्रगति के बारे में अवगत कराया गया। विवरण निम्नवत है :–

1– आगरा – सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा संजय पैलेस पर स्थापित सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0 की AQI में वृद्धि के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए स्थल के 100 मी0 की त्रिज्या में वायु प्रदूषण के बैकग्राउण्ड सोर्सेज के अतिरिक्त स्थानीय कारकों के होने की सम्भावना व्यक्त की गयी। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि संजय पैलेस में स्थापित सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0 अत्यधिक सघन क्षेत्र एवं ट्रैफिक हॉट–स्पॉट समीप स्थापित है, जिसके कारण उक्त स्थल की AQI में वृद्धि हुई है। सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा यातायात नियंत्रण के लिये ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी चाही गयी। पुलिस अधीक्षक, यातायात द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर पुलिस फोर्स बढ़ायी जा रही है तथा आवश्यकतानुसार ट्रैफिक डायवर्जन पर भी विचार किया जायेगा।

सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा आगरा नगर में जल निगम को वायु प्रदूषण नियंत्रण के समुचित उपाय न किये जाने के कारण अधिरोपित अर्थदण्ड के विषय में अवगत कराया गया तथा जल निगम को वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव इत्यादि के निर्देश दिये गये। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि जल निगम द्वारा नगर में सीवर लाइन का कार्य किया गया है, परन्तु सड़क की मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है। कार्य के दौरान एवं उपरान्त जल निगम द्वारा वायु

प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमानुसार कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रू0 36.5 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उक्त के अनुक्रम में अधिषाशी अभियन्ता, जल निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं रोड़ मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। नियमित रूप से जल छिड़काव का कार्य भी कर रहे है तथा निर्माण सामग्री/मलबा का परिवहन ढ़क कर किया जा रहा है। सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम, आगरा एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को दिनांक 01.12.2021 को संयुक्त रूप से निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये तथा यह भी निर्देशित किया गया कि तत्काल निर्माण स्थल से मलबा हटा दिया जाये। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संजय पैलेस क्षेत्र में मैकेनिकल स्वीपिंग एवं रोड वाशिंग की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी चाही गयी। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा तत्क्रम में उक्त क्षेत्र में प्रतिदिन नियमित रूप से मैकेनिकल स्वीपिंग किये जाने की सूचना दी गयी। मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, आगरा द्वारा भी अवगत कराया गया कि नगर निगम, आगरा में 06 नग मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर एवं 05 नग वाटर स्प्रिकन्लर उपलब्ध है। जिनके माध्यम से नियमित रूप से 03 पालियों में स्ट्रीट स्वीपिंग, सड़कों एवं पेड़ों इत्यादि की धुलाई का कार्य किया जा रहा है।

सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, आगरा को क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा से समन्वय स्थापित कर सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित कर सफाई एवं धुलाई का कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही – नगर निगम/उ0प्र0 जल निगम/परिवहन विभाग/अग्नि शमन /उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

2– लखनऊ – सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा AQI के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र एवं सेन्ट्रल स्कूल अलीगंज में स्थापित सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0 से प्राप्त AQI क्रमशः नगर में सर्वाधिक पायी गयी है। सेन्ट्रल स्कूल अलीगंज में AQI बढ़ने का प्रमुख कारक गार्बेज बर्निंग बताया गया। बैठक में उपस्थित अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ से समन्वय कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में स्थापित सी0ए0ए0 क्यू0एम0एस0 से प्राप्त AQI विगत 03 दिनों से बढ़ी हुई है, जिस हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ से कारण बताने को कहा गया। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के समीप ब्रिज कार्पोरेशन के द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। उप परियोजना प्रबन्ध, ब्रिज कार्पोरेशन द्वारा तत्क्रम में अवगत कराया गया कि एन्टी स्मोग गन से नियमित रूप से जल छिड़काव का कार्य किया जा रहा है तथा कार्पोरेशन के पास 02 नग वाटर टैंकर भी उपलब्ध है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उप परियोजना प्रबन्ध, ब्रिज कार्पोरेशन द्वारा अतिरिक्त रूप से वाटर टैंकर लगाये जाने का आश्वासन दिया गया। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा उप परियोजना प्रबन्ध, ब्रिज कार्पोरेशन को क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के साथ प्रतिदिन संयुक्त रूप से अनुश्रवण किये जाने के निर्देश दिये गये। अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नगर निगम, लखनऊ को आवश्यकतानुसार फायर बिग्रेड की सहायता, वेट ब्रूमिंग एवं खाली पड़े स्थलों/सड़को के डिवाइडर पर बृहद रूप से ग्रीनिंग/घास लगाये जाने, प्रतिदिन वृक्षों की सफाई तथा जल छिड़काव की आवृति बढाये जाने साथ ही प्रदूषणकारी/धूल–मिट्टी युक्त वाहनों को नगर में प्रवेश पूर्व सफाई/धुलाई किये जाने के निर्देश दिये गये।

अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए 40 टैंकरों के माध्यम से नियमित रूप से वाटर स्प्रिंकलिंग एवं 08 एन्टी स्मोग गन का भी प्रयोग किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा शहीदपथ, रेलवे स्टेशन तथा वायु अनुश्रवण केन्द्रों

के 100 मी0 की त्रिज्या में वाटर स्प्रिकलिंग का कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि रात्रि 10 बजे के बाद शहीदपथ पर अत्यधिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे शहर की वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में वैवाहिक समारोहों के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसे नियंत्रित किये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे है एवं धूल–मिट्टी युक्त वाहनों के नगर में प्रवेश को निषिद्ध किये जाने हेतु विचार किया जा रहा है।

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नगर के लालबाग क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किये जाने हेतु विचार किये जाने का सुझाव दिया गया।

(कार्यवाही – नगर निगम/सेतु निगम/यातायात पुलिस/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3– कानपुर – सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कानपुर नगर के नेहरू नगर में स्थापित सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0 की AQI प्रायः बढी हुई पायी जाती है एवं नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट, कल्याणपुर में स्थापित सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0 की AQI में भी बढोतरी प्रदर्शित हो रही है। तत्क्रम में मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कानपुर नगर में मैट्रो निर्माण का कार्य प्रगति पर होने के कारण नेहरू नगर की AQI में वृद्धि परिलक्षित हो रही है। यह भी अवगत कराया गया कि 04 वाटर टैंकर एवं 04 वाटर स्प्रिंकलर से नगर के मुख्य मार्गों पर नियमित रूप से जल छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु फायर बिग्रेड के उपयोग के साथ–साथ वाटर स्प्रिंकलिंग बृहद स्तर पर किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही – नगर निगम/कानपुर मैट्रो रेल कार्पोरेशन/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

4– प्रयागराज – सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि झूंसी में स्थापित सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0 की AQI में वृद्धि हुई है। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0 स्थल के 100 मी0 की त्रिज्या में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि संचालित नहीं है, परन्तु वैवाहिक समारोहों एवं प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के कारण जाम की स्थिति प्रायः उत्पन्न हो जाती है जिससे उक्त सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0 की AQI में बढोतरी हुई है। उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त कारणों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि क्षेत्र की समस्त सड़कों को नगर निगम को हस्तगत कर दिया गया है तथा छिड़काव इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों/एजेन्सीज को संयुक्त प्रयास किये जाने तथा वायु प्रदूषण के स्थानीय कारकों को तत्काल नियंत्रित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही – प्रयागराज विकास प्राधिकरण/नगर निगम/यातायात पुलिस/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

5– वाराणसी–सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि नगर के मलदहिया क्षेत्र में स्थापित सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0 की AQI में वृद्धि हुई है। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि संदर्भित स्थल के 100 मी0 की त्रिज्या में भवन निर्माण के कार्य होने के कारण AQI में वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निगम के साथ सयुक्त निरीक्षण कर जिलाधिकारी को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये। क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी को यह निर्देश भी दिये गये कि अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का संदर्भ देते हुए आख्या मुख्यालय को प्रेषित करें जिसकी प्रति जिलाधिकारी, वाराणसी को भी उपलब्ध कराये।

(कार्यवाही – जिला प्रशासन/नगर निगम/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

6– गोरखपुर– सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा गोरखपुर नगर में कूड़ाघाट से देवरिया बाईपास तक निर्माणाधीन सडक के कार्य की अद्यतन स्थिति के विषय में जानकारी चाही गयी। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा 70 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण से होने वाले वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर को लोक निर्माण विभाग पर अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही – लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

7– फिरोजाबाद– प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में कार्यरत जूनियर रिर्सच फैलो द्वारा अवगत कराया गया कि स्थापित सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0 के समीप गार्बेज बर्निंग की घटनाओं एवं तहसील के समीप ट्रैफिक जाम की समस्या के कारण ए0क्यू0आई0 में वृद्धि हुई है। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा गार्बेज बर्निंग एवं ट्रैफिक जाम की समस्या के संबंध में नगर निगम से जानकारी चाही गयी। तत्क्रम में नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गार्बेज बर्निंग संबंधी घटनाओं का त्वरित संज्ञान लेकर कार्यवाही किये जाने के साथ ही वाटर स्प्रिंक्लिग का कार्य किया जा रहा है। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर की उपलब्धता के विषय में जानकारी चाही गयी। तत्क्रम में नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर वर्तमान में उपलब्ध नही है। अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नगर निगम को मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर किराये पर लेकर प्रयोग किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही – नगर निगम/यातायात पुलिस/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

8– मुरादाबाद– सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लाजपत नगर मे स्थापित सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0 की ए0क्यू0आई0 में बढोत्तरी के संदर्भ में स्थानीय स्त्रोतों के विषय में जानकारी चाही गयी। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि संदर्भित सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0 स्थल के 100 मी0 की त्रिज्या में रेलवे का गोदाम है, जहां पर नियमित रूप से लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य किये जाने के कारण ए0क्यू0आई0 प्रभावित हो रही है। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, मुरादाबाद को रेलवे गोदाम के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर के नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रों में स्थापित अवैध उद्योगों को बंद कराये जाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र, रेलवे गोदाम (सीमेन्ट गोदाम) के कारण लाजपत नगर की वायुगुणता प्रभावित हो रही है। नगर आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस संबंध में मण्डल रेल प्रबन्धक (डी0आर0एम0) से वार्ता हुई है, डी0आर0एम0 द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया है। नगर आयुक्त, मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि सेवायोजन कार्यालय शहर के व्यस्ततम सड़क के किनारे स्थित है तथा नगर निगम द्वारा किये जा रहे प्रयासो के कारण यहां की ए0क्यू0आई0 अपेक्षाकृत बेहतर है। अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विगत दो दिन का ए0क्यू0आई0 का संदर्भ लेने एवं छिड़काव कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही – उत्तर रेलवे/ नगर निगम/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

समस्त संबंधित जनपदों की GRAP हेतु कार्यवाहियों की समीक्षा के उपरान्त अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समस्त नॉन अटेन्मेन्ट नगरों (एन0सी0आर0 नगरों के अतिरिक्त) उ0प्र0 के नगरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

1– विस्तारपूर्वक किये गये विचार–विर्मश/चर्चा के दौरान दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
2– क्षेत्र में निरीक्षण की आवृत्ति को बढ़ाया जाये।
3– संबंधित नगर निगम/नगर पालिका परिषदों द्वारा आवश्यकतानुसार मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर किराये पर लिया जाये।
4– फायर बिग्रेड की मदद से भी जल छिड़काव/वृक्षों की धुलाई इत्यादि का कार्य किये जाये।
5– दोषी निर्माण इकाईयों/प्राधिकरणों को निर्देशित किया जाये कि निर्माण से संबंधित ठेकेदार का भुगतान अधिरोपित अर्थदण्ड के जमा कराये जाने के उपरान्त ही किया जाये।
6– नियमित रूप से डस्ट सप्रैसेन्ट का उपयोग करते हुए जल छिड़काव का कार्य किया जाये।
7– सड़कों के किनारें की पटरी पर घास लगायी जाये। इस हेतु नगर निगम वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ करें।
8– यातायात प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया जाये।
9– वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जनपद स्तरीय समस्त विभाग आपसी समन्वय से सतत् प्रयास करें।

(कार्यवाही – समस्त संबंधित विभाग)

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

आशीष तिवारी
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–1357/81–7–2021–09 (रिट)/2016 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/लोक निर्माण/सिंचाई एवं जल संसाधन/गृह/परिवहन/कृषि/उद्यान/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
4– मण्डल रेल प्रबन्धक, मुरादाबाद डिवीजन, मुरादाबाद।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम/सेतु निगम, लखनऊ।
6– प्रबन्ध निदेशक, कानपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन, कानपुर।
7– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8– जिलाधिकारी, आगरा, लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद।
9– क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
10– पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, यातायात, आगरा, लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद।

11– संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य संयोजक, जिला पर्यावरण समिति)/नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा, लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद।

12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0एल0वर्मा)
संयुक्त सचिव